



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिकार अभिलेख

रैयत का नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता											
मो. रफीक, पिता-सुखी मिस्त्री, जाति-., निवासी- व वेगम कुलसुम, पति-सुखी मोस्त्री 1 अंश, जाति-मोमीन, निवासी-पत्रालय निजग्राम											
जिला का नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हलका का नाम	हलका-01	मौजा का नाम	मटकुरिया	खाता का प्रकार	रैयती		
खेवट नम्बर	खाता नम्बर 430			थाना का नाम	थाना नम्बर 53						
खाता नम्बर	खेसरा नम्बर	चौहद्दी उत्तर 3 चौहद्दी दक्खिन 4	किस्म जमीन	मिजान		कैफियत / अभ्युक्ति	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान/सेस	लगान			खास शर्त
(1)	(2)	(3)	कियारी संख्या (5)			(8)	(9)	रौ (10)	आ (11)	पै (12)	(13)
430	998	? -- ? --	बासकीत सहन 0	0.000 एकड़	10.000 डिसमील		0.37 सैतीस पैसा अलावे सेस	0	0	37	क
खाता मे कुल प्लोट संख्या		1	खाता का कुल मिजान (खतियान के अनुसार)		0.000 10.000	खाता का कुल लगान		0 0 37			

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

10/7/2022

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

**Form 1**

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continuous Khatian

Anchal- धनबाद Rev P.S- झरिया State of- झारखण्ड Police Station- झरिया R.T.No 53 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
430	मो. रफीक , पिता-सुखी मिस्त्री, जाति- . एवं वेगम कुलसुम , पति-सुखी मोस्त्री, जाति- मोमीन	998		0	10 डि	0	0.37		1 / 429
430	मो0 शाहीद , पिता-मो0 याकुब, जाति- . एवं शाजहाँ बेगम , पति-मो0 शाहीद , जाति- .	998		0	0.01 डि	0	5	दा० खा० के० न०1927 (1) 2014-15	1 / 1082
430	मो० वसीम , पिता-स्व० मो० हमीदुल्लाह, जाति- --	998		0	4.13 डि	0	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1225/2021 - 2022	5 / 7
430	MD SHAMSH PERWEZ , पिता- MD SHAMSUL HODA ANSARI, जाति- ----	998		0	8.23 डि	0	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 2324/2022 - 2023	5 / 80

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

10/7/2022

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

